


मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

::आदेशः

भोपाल, दिनांक 22.08.2016

क्रमांक 1326/1199/2016/20-2:: विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 20.5.2016 के अनुक्रम में स्पष्ट किया जाता है कि "रुक जाना नहीं" योजनांतर्गत कक्षा 10 वीं एवं 12 वीं में म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद भोपाल द्वारा जारी अंकसूचियों में "उत्तीर्ण" घोषित नियमित परीक्षार्थियों को विद्यालय द्वारा जारी की जाने वाले शाला छोड़ने के प्रमाण पत्र (टी.सी.) में परीक्षा परिणाम उत्तीर्ण अंकित किया जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(कलावती उड़के)
अवर सचिव

म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ० क्रमांक 1327/1199/2016/20-2
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 22.08.2016

1. निज सचिव, मान. मंत्री/राज्यमंत्री जी, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल
 2. अध्यक्ष/सचिव, म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल
 3. आयुक्त, लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र, म.प्र. भोपाल
 4. संचालक, म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद, भोपाल
 5. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
 6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्यप्रदेश
 7. समस्त संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
 8. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. आर्डर बुक


अवर सचिव

म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

::राकेश मुलेः